

न्यायालय तहसीलदार सेडवा, जिला बाडमेर

राजस्व मुकमदमा सं. 22/2018

प्रार्थी
सरकार जरिये पटवारी
भैरुडी

बनाम

विप्रार्थी

खरथाराम पुत्र सालूराम
कौम-जाट
निवासी- बावतलाई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 भू- राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
आदेश

निर्णय दिनांक 01.10.2018

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भैरुडी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि ग्राम बावतलाई के खसरा सं. 334/241 रकबा 09.00 बीघा पर अवेध रूप से काश्त/कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। विप्रार्थी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही हेतु निवेदन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस दिया गया जो विप्रार्थी को नोटिस बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ विप्रार्थी उपस्थित हुआ।

विप्रार्थी ने उपस्थित होकर कब्जा करना स्वीकर किया विवादित आराजी के सम्बन्ध मे बाबजुद अवसर अपने पक्ष /स्वामित्व के सम्बन्ध मे कोई लिखित सबूत प्रस्तुत नहीं है इस प्रकरण मे हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार अवेध रूप से राजकीय भूमि पर कब्जा करना पाया गया।

बहस सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया आलौच्य प्रकरण मे पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त विवादग्रस्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन घोरा है, विप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः विप्रार्थी को विवादग्रस्त राजकीय भूमि पर बतौर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने से अतिक्रमित भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है एव उक्त आराजी पर अवेध कब्जा करने पर बतौर लगान शास्ति के वार्षिक लगान 0.54 का 50 गुणा के अनुसार रूपये 27 अक्षरे :- सताईस रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है भूअभिलेख निरीक्षक हल्का बामडला को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त भूमि पर गैर सायल का नाजायज कब्जा शुदा भूमि से बेदखल कर मांग कायमी हेतु हल्का पटवारी भैरुडी एवं राजस्व लेखाकार को सूचित हो पत्रावली बाद आदेश की पालना होकर पत्रावली दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2018 का सरे इजलास लिखकर सुनाया गया।



11/10/18
तहसीलदार सेडवा